27-3-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। तनकी पत्रावली दि० 3-5-17 को पेश हो।
3-5-17	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० हो। पत्रा० दि० 5-6-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खेड़ावाद रामगढ़ पर पेश हो। पक्षकारों को नोटिस जारी किया जावे। 1870-74
5-6-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प खेड़ावादरामगढ़ पर पेश हुई। वादी बत्तीलाल व प्रतिवादी रामखिलाड़ी उप० है। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि ख०नं० 354 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम रामगढ़ मुराड़ा मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तथा वादी प्रतिवादीगण के बने हुए मकानात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। प्रतिवादी की यदि कोई भूमि ख०नं० 354 मे है तो वह दावा लाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। प्रस्तुत राजीनामे पर वादी व प्रतिवादी को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	रामखिलाड़ी
	(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी
	(बाबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढ रामगढ
पीठासीन अधिकारी-: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

बत्तीलाल पुत्र हरजी, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र लालचंद मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
2. कोरन्ती पत्नी रामखिलाडी मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
3. मुकेश पुत्र रामखिलाडी मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
4. स्नकेश पुत्र रामखिलाडी मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 125/2013

वादी की ओर से वादी बत्तीलाल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामखिलाडी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 5.6.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वादपत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प ________रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

वादी लाभान्वित होता चला आ रहा है, अन्य किसी व्यक्ति का इसभूमि

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– [illegible]

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 5/6/17

कैम्प - [illegible]

पचीलाल बनाम रामखिलाड़ी वगैरह

प्रकरण संख्या :– 125/13 अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री पचीलाल पुत्र हरजी
निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है तथा अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :– कि विवादित भूमि ख.नं. 354 रकबा 1.20 है. ग्राम - [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कोई भूमि ख.नं. 354 में है तो वह [illegible] के लिए [illegible]

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. पचीलाल प्रतिवादी पक्ष 1. रामखिलाड़ी

2. .... 2. ....

3. .... 3. ....

4. [signature] 4. ....

सरपंच

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(वादी पक्ष) नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रार्थी/वादी पचीलाल एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी रामखिलाड़ी द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हसबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

[signature]

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(अनिल कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

[signature]
(बाबूलाल जाट)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी